कश्मीर में बर्फबारी, मुगल रोड बंद

जम्मू, 6 नवंबर (भाषा)।

जम्मू क्षेत्र में पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाले मुगल रोड को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद बुधवार को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया।

मौसम विभाग ने मंगलवार को केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बुधवार से अगले तीन दिनों के लिए मध्यम से भारी बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान जताया था।

भविष्य के संघर्षों को सुलझाने में मदद कर सकता है करतारपुर मॉडल : मनमोहन सिंह

चंडीगढ़, 6 नवंबर (भाषा)।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को उम्मीद जताई कि करतारपुर मॉडल भविष्य के संघर्षों को सुलझाने में मदद कर सकता है। सिंह के साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया।

उपराष्ट्रपति नायडू ने भी कहा कि सिख गुरु की सीख को यदि दैनिक जीवन में आत्मसात किया जाए तो शांति और सतत विकास का एक नया विश्व बन सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री सिंह ने कहा, 'समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शांति एवं सौहार्द एकमात्र रास्ता है। करतारपुर मॉडल को संघर्षों के स्थायी समाधान के लिए भविष्य में भी दोहराया जा सकता है।' करतारपुर गलियारा नौ नवंबर को खुलना निर्धारित है। यह गलियारा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के पंजाब में गुरुदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक से जोड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने समतामूलक समाज सुनिश्चित करने के लिए सभी से सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के परस्पर प्रेम एवं सम्मान के संदेश को आगे बढ़ाने की अपील की। सिंह ने सांप्रदायिक हिंसा को विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा, 'गुरु नानक देव जी का एक ईश्वर, धार्मिक सहिष्णुता और शांति का शाश्वत संदेश सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त करने का मार्ग दिखा सकता है।' उन्होंने कहा, 'पंजाब गुरु नानक देव जी की कर्म भूमि है। गुरु नानक देव की विरासत को हम कैसे बरकरार रख पाएंगे, जब उसके युवा नशे के आदी होंगे, पानी जहरीला हो रहा है और महिलाओं का अनादर हो रहा है। यह उनकी 550वीं जयंती पर सबसे अहम सवाल है।' उपराष्ट्रपति नायडू ने सत्र को संबोधित करते हुए सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को भारत के सबसे लोकतांत्रिक आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ताओं में से एक बताया। नायडू ने कहा कि उनकी दृष्टि समय-काल से परे है और यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पांच शताब्दी पहले थी जब यह प्रतिपादित की गई थी।'

11,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की

नई दिल्ली, 6 नवंबर (भाषा)।

दुनियाभर के 153 देशों के 11,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि उन मानव गतिविधियों में व्यापक और स्थायी बदलाव के बिना बहुत बड़ा नुकसान होना तय है जिनका योगदान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य कारकों में होता है। 'बायोसाइंस' नामक पत्रिका में मंगलवार को प्रकाशित एक शोध-पत्र में, भारत से 69 सहित 11,258 हस्ताक्षरकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के वर्तमान लक्षण को प्रस्तुत किया है और इससे निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले प्रभावी कदमों का जिक्र किया है।

जलवायु आपातकाल की घोषणा ऊर्जा उपयोग, पृथ्वी के तापमान, जनसंख्या वृद्धि, भूमि क्षरण, पेड़ों की कटाई, ध्रुवीय बर्फ द्रव्यमान, उत्पादन दर, सकल घरेलू उत्पाद और कार्बन उत्सर्जन सहित एक व्यापक क्षेत्र को कवर करने वाले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के 40 से अधिक वर्षों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। अमेरिका के ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी (ओएसयू) के कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री में इकोलॉजी के एक प्रोफेसर विलियम जे रिप्पल ने कहा, '40 साल से चल रही प्रमुख वैश्विक वार्ताओं के बावजूद, हमने हमेशा की तरह व्यापार करना जारी रखा है और इस संकट को दूर करने में असफल रहे हैं।' रिप्पल ने एक बयान में कहा, 'जलवायु परिवर्तन आ गया है और कई वैज्ञानिकों की अपेक्षा से भी कहीं तेज गति से बढ़ रहा है।'

अयोध्या मामले में फैसला आने से पहले मुंबई हुई चाक-चौबंद

मुंबई, 6 नवंबर (भाषा)।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, खासकर शहर के संवेदनशील इलाकों में।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है और शहर में फैसले का जश्न मनाने या इस पर दुख प्रकट करने के लिए किसी तरह के कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले इस मामले में फैसला सुना सकते हैं। मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बर्वे ने पत्रकारों एवं धर्म गुरुओं समेत मुसलिम समुदाय के कुछ प्रमुख सदस्यों के साथ एक बैठक की और उनसे शीर्ष अदालत के फैसले को स्वीकार करने की अपील की।

अधिकारी ने कहा, 'संवेदनशील इलाकों में ज्यादा एहतियात के साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शीर्ष अदालत का जो भी फैसला आए, प्रत्येक व्यक्ति को इसे किसी समुदाय के सदस्य की तरह नहीं बल्कि देश के एक नागरिक के तौर पर स्वीकार करना चाहिए।' उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपायों के तहत पुलिस ने चार से 18 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है जो लोगों के गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने कहा, 'फैसले के बाद शहर में किसी भी समुदाय या समूह को जश्न या दुख मनाने की अनुमति नहीं होगी।' अधिकारी ने कहा कि शहर पुलिस का सोशल मीडिया निगरानी प्रकोष्ठ एवं साइबर सेल फेसबुक, ट्विटर, वाट्सऐप, इंस्टाग्राम और इस तरह के अन्य मंचों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगा। उन्होंने कहा, 'किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।' अधिकारी ने कहा कि नागरिकों से अफवाहों में यकीन न करने की अपील की गई है और इस तरह की कोई भी बात सामने आने पर पुलिस को सूचित करने को कहा गया है। उन्होंने कहा, 'लोगों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना देनी चाहिए और शहर को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करना चाहिए।'

आइएस के शिकंजे से छूटी बलात्कार पीड़िता ने सुनाई आपबीती

मुंबई, 6 नवंबर (भाषा)।

मैं जब 13 साल की थी, तब आइएस ने मुझे अगवा किया, करीब एक साल तक मेरे साथ जानवरों की तरह सलूक किया गया और तीन-तीन बार आतंकवादियों के हाथों बेचा गया। दिल दहला देने वाले ये शब्द एक यजीदी बलात्कार पीड़िता के हैं, जिसने यहां संवाददाता सम्मेलन में आपबीती सुनाई और आइएस की ज्यादतियों के बारे में बताया।

'ऑफिस ऑफ रेस्क्यूड यजीदीज' के निदेशक हुसैन अल कायदी ने आतंकी गुट के शिकंजे से मुक्त कराई गई कुछ बलात्कार पीड़िताओं के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन किया। एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन के सहयोग से हुए इस संवाददाता सम्मेलन में पीड़िताओं ने उत्तरी इराक के सिंजार में आइएस के चंगुल में रहते हुए बिताए गए अपने भयावह दिनों को बयां किया।

कुर्द क्षेत्रीय सरकार के प्रतिनिधियों और आइएस की ज्यादतियों की शिकार पीड़िताओं ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष वाले हिस्सों में फंसे यजीदियों और कुर्दों को वहां से हटाने और उनके पुनर्वास में मदद करने की अपील की। एक प्रतिनिधि ने बताया कि सिंजार से अमेरिकी बलों को वापस बुलाने का फैसला सही नहीं है क्योंकि इससे इलाके में आइएस का आतंक बढ़ेगा, खासकर यजीदी जैसे अल्पसंख्यक मजहबी समूह उनके निशाने पर आएंगे। अल कायदी ने कहा, '2014 से सिंजार में आइएस ने अतिक्रमण किया और हजारों यजीदी अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। कुछ को जिंदा जलाया गया, कुछ को गोली मारी गई और कुछ जीवित ही दफना दिए गए। लड़कों को आतंकवाद का प्रशिक्षण देकर बंदूक थमा दी गई, तो लड़कियों से बलात्कार किया गया, उन्हें यौन गुलाम बनाया गया या आइएस के आतंकियों से उनकी शादी कर दी गई।' उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सीरियाई कुर्दों का साथ देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से संकट गहरा गया है क्योंकि आतंकी गुट दाएश के लोग बेलगाम घूम रहे हैं।

अवैध शराब की तस्करी के प्रयास में तीन गिरफ्तार

पिथौरागढ़, 6 नवंबर (भाषा)।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अवैध शराब की बड़ी खेप की तस्करी का प्रयास करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक आरसी राजगुरू ने कहा कि थल-धारचूला मार्ग पर ओगला बैरियर से अवैध शराब की 616 पेटियों के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने एक अन्य आरोपी आबकारी इंस्पेक्टर भुवन चंद्र डंगवाल का नाम लिया जिसकी मिलीभगत से वह धारचूला में खेप की तस्करी करने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद आबकारी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध शराब की 616 पेटियों के अलावा आरोपियों के कब्जे से दो पिकअप वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं।

कल्याणी कॉमर्शियल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : बीजी-223, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली-110042
सीआईएन : L65923DL1985PLC021453
ई-मेल: kalyanicommercialslimited@gmail.com
वेबसाइट : www.kalyanicommercialsltd.com
दूरभाष : 011-43063223, 011-47060223
बोर्ड के बैठक की अग्रिम सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(ए) के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2019 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय बीजी-223, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली-110042 पर आयोजित की जायेगी।
कृते कल्याणी कॉमर्शियल्स
दिनांक : 06 नवम्बर, 2019 ह./-
स्थान : नई दिल्ली सौरभ अग्रवाल
(पूर्ण कालिक निदेशक)

सदर्न इन्फोसिस लिमिटेड
सीआईएन : L67120DL1994PLC059994
402-ए, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-43045402, 23354236
ई-मेल: southerninfosys@gmail.com
वेबसाइट : www.southerninfosys.com
सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त द्वितीय तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्ड अलोन एवं समेकित) पर विचार एवं अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जायेगी।
कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट http://www.southerninfosys.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट http://www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।
कृते सदर्न इन्फोसिस लिमिटेड
स्थान : दिल्ली ह./-
दिनांक : 06.11.2019 कृति बरेजा
अनुपालन अधिकारी

पशुपति फिनकैप लि.
CIN: L65990HR1996PLC033099
पंजी. कार्यालय: ग्राम कपरीवास (धारुहेरा), जिला रेवाड़ी, हरियाणा
प्रधान कार्यालय: 127-128, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के बोर्ड की बैठक तथा ऑडिट कमिटी की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 127-128, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30.9.2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।
पशुपति फिनकैप लिमिटेड
हस्ता./-
विदित जैन
तिथि: 6.11.2019 निदेशक

SRM Energy
SRM ENERGY LIMITED
Regd. & Admin Office: 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057
CIN L17100DL1985PLC303047
Website: www.srmenergy.in
TEL. NO. +91-011-41403205
Email: info@srmenergy.in
NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 13, 2019 at 3:30 P.M. at the Registered Office of the Company, i.e., 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057 to inter-alia consider the followings:
- The un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the second quarter and half year ended on 30th September, 2019.
- To transact any other business which the Board may deem fit.

This information is also available on the website of the company viz. www.srmenergy.in and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com).
For SRM Energy Limited
Sd/-
(Suvindra Kumar)
Place: New Delhi Company Secretary
Date: November 06, 2019 ACS:22747

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और
सर्वत्र टेक्निकल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U72900DL2011PTC218833)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029 में हैं, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, वह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 18 सितम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विषय के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दे।
कृते सर्वत्र टेक्निकल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
प्रेम कुमार पुरी (निदेशक)
दिनांक: 06 नवंबर 2019 डीआईएन: 00489287
स्थान: नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और
सर्वत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U45200DL2011PTC222429)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029 में हैं, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, वह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 18 सितम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विषय के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दे।
कृते सर्वत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
प्रेम कुमार पुरी (निदेशक)
दिनांक: 06 नवंबर 2019 डीआईएन: 00489287
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष कम्पनी याचिका (आईबी) 2019 की सं. 1514/एनडी
के मामले में
श्री रूपेश कुमार साहू एण्ड संस एवं अन्य ..... याचिकाकर्ता
बनाम
सनशाइन इन्फ्राबिल्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड ....प्रतिवादी
माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2019 के अनुसार सुनवाई की अगली तारीख की सूचना हेतु प्रतिवादी सूचना, वर्तमान प्रकाशन द्वारा एतद्द्वारा याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी कम्पनी को सूचित किया है कि उपर्युक्त मामला माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली के समक्ष अगली सुनवाई हेतु 03.12.2019 को 10.30 बजे प्रातः सूचीबद्ध है।
प्रतिवादी को यह भी सूचित किया गया है कि 03.12.2019 को 10.30 बजे प्रातः माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहने पर उपर्युक्त मामला प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय क्रियान्वित होगा।
श्री रूपेश कुमार साहू एवं अन्य
204 एवं 304, डी.आर. चैम्बर्स, 12/56, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
दिनांक: 06 नवंबर 2019 दूरभाष : 011-49093420
स्थान: नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और
सर्वत्र आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U72900DL2011PTC218833)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029 में हैं, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, वह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 20 सितम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विषय के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दे।
कृते सर्वत्र इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
प्रेम कुमार पुरी (निदेशक)
दिनांक: 06 नवंबर 2019 डीआईएन: 00489287
स्थान: नई दिल्ली

फार्म नं. यूआरसी-2
अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना का विज्ञापन
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)
1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला-गुड़गांव (हरियाणा), पिनकोड-122050 को इस संबंध में पन्द्रह दिन लेकिन इसके बाद तीस दिन की समाप्ति से पूर्व एक आवेदन करने का प्रस्ताव किया गया है कि फोनिक्स फैमिली ऑफिस एडवाइजर्स एलएलपी, एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के तौर पर कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी का मूल उद्देश्य निम्न प्रकार से है:- सभी मामलों एवं समस्याओं पर परामर्श एवं सलाह प्रदान करना और वित्त, लेखा, विधि, अर्थशास्त्र, विपणन, वितरण, इंजीनियरिंग, लागत, प्रबंधन, प्रशासन, कार्मिक, तकनीकी, औद्योगिक, सामरिक, व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, आईटी सक्षम सेवाएं, कम्प्यूटर, कृषि, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता प्रमाणन, आयात, निर्यात, सीमापार लेनदेन, विदेशी सहयोग एवं साझेदारी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, स्थानीय अभिशासन, विधिक मामले, मध्यस्थता, समाधान एवं निपटान के क्षेत्र में उससे जुड़े एवं संबंधित सहित लेकिन सीमित नहीं में सभी प्रकार की सलाह एवं परामर्श सेवाएं प्रदान या अन्यथा शामिल करने का व्यवसाय, बक्षित या पेशा निष्पादित करना और प्रत्येक मामले पर क्लाइंट को सलाह, सहयोग एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
3. प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और कंपनी के अनुच्छेद एवं एसोसिएशन की प्रति का निरीक्षण एन-107, दूसरा तल, पंचशील पार्क, दिल्ली-110017 में स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में, हमारे पंजीकृत कार्यालय को एक प्रति सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड-122050 को भेज सकता है।
आवेदक का नाम:
1. अमित खन्ना (पदनामित साझेदार)
2. दीपिका खन्ना (पदनामित साझेदार)
आज दिनांक 5 नवम्बर, 2019

रोलाटेनर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 73-74, फेज-III, इण्डस्ट्रियल एरिया, धारुहेड़ा, रिवाड़ी, रिवाड़ी
दूरभाष : 01274-243326
वेबसाइट : www.rollatainers.com
ई-मेल: csrollatainers@gmail.com
सीआईएन :L21014HR1968PLC004844
सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29(1)(ए) के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्ड अलोन एवं समेकित) पर विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जायेगी।
कथित सूचना बीएसई की वेबसाइट http://www.bseindia.com तथा एनएसई की वेबसाइट http://www.nseindia.com पर देखी जा सकती है।
कृते रोलाटेनर्स लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली पंकज महेन्द्रू
दिनांक : 06.11.2019 (कम्पनी सचिव)

UFLEX
'A part of your daily life'
यूफ्लैक्स लिमिटेड
CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, मानेट कॉर्नर, पान्थोष एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922
वेबसाईट : www.uflexltd.com
इमेल : secretarial@uflexltd.com
सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूफ्लैक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को नोएडा में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित एंव अभिलेखित किया जाएगा।
यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com. पर भी उपलब्ध है।
यूफ्लैक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अजय कृष्णा
वरि. वी.पी. (लीगल) एवं कम्पनी सचिव
ACS No.3296
पता : सी-001, कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी, ई-8, सेक्टर-61, नोएडा-201301
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 06.11.2019

COURT NOTICE
In the court of Sh. Satish kumar Sharma JMIC Ludhiana
CNR NO. PBLD03-062801-2018
NEXT DATE: 02-12-2019
M/S INDOGULF CROPSCIENCES LIMITED V/S M/S MURTHY STORES
PUBLICATION ISSUED TO:.1. M/S MURTHY STORES AND OTHERS SHOP NO. 27. BLOCK B, TUDA SHOPPING COMPLEX, R.C.ROAD, TIRUPATHI 517501 DIST. CHITTOR ANDRA PARDESH 2. SH. C. RANA MOORTHY MOBILE 9491521178 PROP./ PARTNER/ AUTH SIGN. OF M/S MURTHY STORES AND OTHERS SHOP NO 27 BLOCK B, TUDA SHOPPING COMPLEX, R.C.ROAD, TIRUPATHI 517501 DIST. CHITTOR ANDRA PARDESH
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused / (accused persons) can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you shouls appear personally before the court on 02-12-2019 at 10.00 a.m or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court this 22-11-2019. for details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

Court Notice
In the court of sh. Devnoor Singh JMIC ludhiana
CNR NO. PBLD03-015867-2019
PESHI: 05-12-2019
PUBLICATION NOTICE FOR PROCLAMATION UNDER SECTION 82 CR.PC
M/S KIRTI FASTENERS V/S M/S HOYSALA TECHNOLOGIES PVT LTD
COMPLAINT R/W SEC -138 N.I. ACT
NOTICE TO:1. M/S HOYSALA TECHNOLOGIES PVT LTD. SYNO 126/1, SITE NO .3&4, KEMPAIAH GARDEN, NEAR BMTC BUS DEPOT PEENYA 4TH PHASE , BANGALORE-560058 2. SHANKARAN HALLY RAJE GOWDE NANDEESH, MANAGING DIRECTOR M /S HOYSALA TECHNOLOGIES PVT L TD. S YNO 126/1 SITE NO. 3&4, KEMPAIAH GARDEN, NEAR BMTC BUS DEPOT PEENYA 4TH PHASE, BANGALORE -560058 3. RAJE GODWE, DIRECTOR M/S HOYSALA TECHNOLOGIES PVT LTD. SYNO 126/1 SITE NO.3&4, KEMPAIAH GARDEN, NEAR BMTC BUS DEPOT PEENYA 4TH PHASE, BANGALORE-560058
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 05-12-2019 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed as above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court, this5-11-2019 FOR DETAILS LOGIN T